न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 169/2012 (उदयपुर डिक्री)

नाथूलाल पिता भीमा जी मेघवाल, निवासी बाघपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. दौलतराम उर्फ दौला पिता भीमा जी मेघवाल (फोत) के बजाय :–
   (क) श्रीमती जीवी बाई पत्नी श्री दौलतराम मेघवाल, निवासी बाघपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
   (ख) श्रीमती गणेशी देवी पत्नी श्री करणमल मेघवाल, निवासी 4/127, 128, राजस्थान हा.बो. कॉलोनी, गोवर्धन विलास, से.नं. 14, उदयपुर।
   (ग) किशनलाल पिता दौलतराम मेघवाल, निवासी 4/346, राजस्थान हा. बो. कॉलोनी, गोवर्धन विलास, से. नं. 14, उदयपुर (राज.)
   (घ) श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री पूरण प्रकाश मेघवाल, निवासी आलोक स्कूल के पास, धोईन्दा तहसील राजनगर, जिला राजसमन्द (राज.)
   (ङ) सुनील कुमार पिता श्री दौलतराम मेघवाल, निवासी बाघपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. प्यारेलाल उर्फ प्याराचन्द उर्फ प्यारा पिता भीमा जी (फोत) के बजाय :–
   (क) श्रीमती पार्वती देवी पत्नी स्वर्गीय प्यारेलाल जी मेघवाल, निवासी बाघपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
   (ख) हिम्मत पिता स्वर्गीय प्यारेलाल जी मेघवाल, निवासी बाघपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
   (ग) ताराचन्द पिता स्वर्गीय प्यारेलाल जी मेघवाल, निवासी बाघपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
   (घ) मनीष पिता स्वर्गीय प्यारेलाल जी मेघवाल, निवासी बाघपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल
दिनांक 17.10.2012 प्र.सं. 35/2008

———::———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री लोकेश जैन अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मोहनलाल जोशी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 2

———::———

निर्णय दिनांक 04–06–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाघपुरा एवं माणस में परिशिष्ट ''क'' की कुल किता 14 रकबा 1.0700 हैक्टर, परिशिष्ट ''ख'' की कुल किता 11 रकबा 0.8100, परिशिष्ट ''ग'' की कुल किता 2 रकबा 0.8000 हैक्टर एवं परिशिष्ट ''घ'' की कुल किता 5 रकबा 2.0600 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित पैत्रृक सम्पत्ति है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सगे भाई हैं। परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' की भूमियों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बराबर–बराबर हिस्सा है, किन्तु परिशिष्ट ''ग'' में वर्णित भूमियां अकेले प्रतिवादी संख्या 2 के नाम तथा परिशिष्ट ''घ'' की भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं। परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' की भूमियों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बराबर हिस्सा होकर मौके पर सुविधानुसार अलग–अलग काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, किन्तु बंध एवं नाम से कभी भी विभाजन नहीं हुआ है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ग'' की भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 2 का तथा परिशिष्ट ''घ'' की भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है। इस प्रकार उपरोक्त परिशिष्ट ''क'', ''ख'', ''ग'' एवं ''घ'' में वर्णित भूमियों मं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है, किन्तु राजस्व अभिलेखों में परिशिष्ट ''ग'' की भूमियां अकेले प्रतिवादी संख्या 2 के नाम तथा परिशिष्ट ''घ'' की भूमियां अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादी के

खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतएवं वादग्रस्त भूमियों में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य विभाजन किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी का विवाह होकर वह 50 वर्षो से अलग रह रहा है। परिवार संयुक्त नहीं है। केवल परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' की भूमियां ही मौरूसी हैं जो संयुक्त खाते में दर्ज हैं, जिसका बंटवाड़ा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भीमा जी ने 30 वर्ष पूर्व ही कर दिया था तथा विभाजन से प्राप्त भूमियों पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अलग–अलग काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। परिशिष्ट ''घ'' की भूमियां पैत्रृक नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 के तनहा खातेदारी की हैं, जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ग'' की भूमियां प्रतिवादी संख्या 2 के एकल खातेदारी की हैं, जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का कोई संबंध नहीं है। विशेष कथन में बताया कि परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' की भूमियां ग्रामीण आंचलिक बैंक में रहन होने से वह इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं, जिन्हें पक्षकार बनाये बगैर दावा प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतएवं वाद खारिज किया जावे।

उक्त जवाबदावे का वादी द्वारा जवाबुल जवाब भी प्रस्तुत किया गया तथा कथन किया कि वादग्रस्त भूमियों में वादी का 1/3 हिस्सा है एवं 1/3 हिस्सा ही बैंक को रहन रखा गया है, इसलिए वाद में बैंक के किसी प्रकार के कोई हक प्रभावित नहीं होते हैं। परिशिष्ट ''ग'' की भूमियां प्रतिवादी संख्या 2 व परिशिष्ट ''घ'' की भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज अवश्य है, किन्तु यह भूमियां संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमियां है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 5 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियां वादी एवं प्रतिवादी की पैत्रृक सम्पत्ति है ? ..... वादी
2. आया परिशिष्ट ''ग'' व ''घ'' में वर्णित भूमियां प्रतिवादी की तनहा खातेदारी की हैं, जिसमें वादी का कोई हक एवं अधिकार नहीं है ? ..... प्रतिवादी

3. आया परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' मं वर्णित भूमियां का 30 वर्ष पूर्व ही सहमति बंटवाड़ा हो चुका है तथा मौके पर पृथक–पृथक कब्जा है ? ..... प्रतिवादी
4. आया प्रकरण में मेवाड़ आंचलिक बैंक आवश्यक पक्षकार है, जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे दावा खारिज योग्य है ? ... प्रतिवादी
5. दादरसी ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के पश्चात पेश शुदा मौखिक साक्ष्यों का विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 17–10–2012 से वादी का वाद सिद्ध नहीं पाये जाने के कारण खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–12–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मोहनलाल जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक औपचारिक पक्षकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' की भूमियां संयुक्त खातेदारी की होने बाबत् उसके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया तथा न ही वाद को खारिज किया है एवं न ही स्वीकार किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहों से परिशिष्ट ''ग'' व ''घ'' की भूमियों पर वादी के पिता द्वारा काश्त की जाना प्रमाणित है तथा पिता द्वारा ही अपने पुत्रों के नाम आवंटन कराये जाने का कथन उक्त गवाहों ने किया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमियों को मौरूसी नहीं मानकर वाद खारिज करने में भूल की है। तनकी नंबर 1 पैत्रृक सम्पत्ति होने बाबत् थी, जिसे अधिनस्थ न्यायालय में दस्तावेजों से साबित कराया गया है, परन्तु अधिनस्थ

न्यायालय ने इस तनकी में मात्र परिशिष्ट ''ग'' व ''घ'' की भूमियों के बारे में ही विवेचन कर तनकी का निर्णय कर दिया है, जबकि परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' की भूमियां पैत्रृक होना साबित हैं। इसी प्रकार तनकी नंबर 2 व 4 का निर्णय भी त्रुटि पूर्ण किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व पेश शुदा रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह प्रकट आया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 के संबंध में त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित करते हुए यह तनकी वादी के पक्ष में सिद्ध नहीं पाये जाने से वादी के विरूद्ध निर्णित की है, परन्तु इस तनकी में परिशिष्ट ''ग'' व ''घ'' की भूमियां पैत्रृक नहीं होने बाबत् है, परन्तु परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' की भूमियां संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है, जबकि यह भूमियां हस्ब रेकार्ड वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी की हैं। तद्नुसार तनकी नंबर 1 के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

तनकी नंबर 2 के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने परिशिष्ट ''ग'' व ''घ'' की भूमियों को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आवंटन से प्राप्त होकर उनकी तनहा खातेदारी की माना है, जिसमें वादी का किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं होना माना है, जो बिल्कुल उपयुक्त है।

जहां तक तनकी नंबर 3 का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात के 30 वर्ष पूर्व बंटवाड़ा हो जाने बाबत् प्रतिवादीगण के भार सिद्ध उक्त तनकी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया है, क्योंकि इस बाबत् प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। तद्नुसार तनकी संख्या 3 का निर्णय उपयुक्त है।

तनकी नंबर 4 का निर्णय भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि पूर्ण ढंग से किया गया है, क्योंकि वादी द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि रहन उसके हिस्से पर ही दर्ज है। अतएवं विभाजन के बाद उसके हिस्से पर ही रहन दर्ज रहेगा। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का तनकी नंबर 4 के संबंध में पारित निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

समग्र रूप से अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन किया है, जिसमें से तनकी नंबर 1 व 4 का निर्णय त्रुटि पूर्ण किया गया है। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय ने परिशिष्ट ''क'' एवं ''ख'' की भूमियां जो पक्षकारों के सहखातेदारी में दर्ज हैं, उन भूमियों बाबत् विभाजन का निर्णय नहीं किया है, जो त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–10–2012 आंशिक रूप से अपास्त किया जाकर परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' की भूमियां जो पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज हैं, का हस्ब रेकार्ड मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने के लिए तहसीलदार झाड़ोल को कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय प्रारम्भिक डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार को निर्देशित करेंगे। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 06–08–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

नाथूलाल पिता भीमा जी मेघवाल निवासी बाघपुरा, तहसील झाड़ोल तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर बनाम **दौलतराम के बजाय श्रीमती जीवी बाई पत्नी दौलतराम मेघवाल, नि0 बाघपुरा, तह0 झाड़ोल, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**169 / 2012**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**झाड़ोल**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....17**.....माह.....**10**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**04**....माह.....**06**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री लोकेश जैन**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री मोहनलाल जोशी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–10–2012 आंशिक रूप से अपास्त किया जाकर परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 1091, 1092, 1107, 1114, 1119, 1181 से 1186, 1219, 1229, 1234 कुल किता 14 रकबा 1.0700 हैक्टर एवं परिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 2554, 2557, 3295, 3350 से 3357 कुल किता 11 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि जो पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज हैं, का हस्ब रेकार्ड मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने के लिए तहसीलदार झाड़ोल को कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय प्रारम्भिक डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार को निर्देशित करेंगे।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**04**.....माह.....**06**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।